NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition

महिला, शिशु और बच्चे (WIC) सम्मेलन / उचित सुनवाई का अनुरोध (Conference/Fair Hearing Request)

डब्ल्यूआईसी की अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्न बातें ज़रूरी हैं:

- आप:
  - एक गर्भवती महिला हों,
  - एक महिला हों जिसने छह महीने पहले जन्म दिया था,
  - एक वर्ष की आयु तक के बच्चे को स्तनपान कराने वाली माँ हों,
  - एक शिशु या पांच साल का बच्चा हो;
- न्यूयॉर्क राज्य में रहते हों;
- संघीय सरकार द्वारा निर्धारित स्तरों पर या उससे नीचे की आय प्राप्त करते हों, या खाद्य टिकटों (एसएनएपी), मेडिकेड या अफेय परिवारों (टीएएनएफ़) के लिए अस्थायी सहायता से लाभ प्राप्त करते हों;
- किसी चिकित्सा या पोषण के ज़रूरतमंद हों;
- पहचान पत्र रखते हों

यदि भत्ते के लिए आपका आवेदन ठुकरा दिया गया था या आपको मिलने वाले लाभ बंद हो गए हैं, तो आप निर्णय (अपील) को बदलने के लिए एक मीटिंग की माँग कर सकते हैं। इस बैठक को एक सम्मेलन कहा जाता है। यदि सम्मेलन में समस्या हल नहीं होती है, तो आपको उचित सुनवाई का अधिकार है। एक निष्पक्ष सुनवाई एक ऐसा मौका है जहां आप जज को बता सकते हैं कि आपको फैसला गलत क्यों लगता है।

सम्मेलन

आप, या जो कोई आपकी तरफ़ से बोल रहा है, डब्ल्यूआईसी की स्थानीय एजेंसी से (व्यक्तिगत या लिखित रूप में) एक सम्मेलन की माँग कर सकता है । आपको आवेदन के सात दिनों के भीतर या जब आपको बताया गया कि आपके लाभ बंद हो जाएंगे बैठक की माँग करनी होगी। यदि आप सात दिनों के भीतर नहीं पूछते हैं तो आप एक सम्मेलन का मौका खो देंगे।

आपके अनुरोध करने के बाद, डब्ल्यूआईसी स्थानीय एजेंसी आपको सम्मेलन की तिथि, समय और स्थान बताएगी। आप, या आपकी तरफ़ से बोलने वाला व्यक्ति, सम्मेलन में अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी तरफ़ से बोलने वाला व्यक्ति आपका रिश्तेदार, मित्र, वकील या अन्य व्यक्ति हो सकता है। सम्मेलन आपके अनुरोध के दस दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।

सम्मेलन में, आप पूछ सकते हैं कि आपका आवेदन ठुकराया क्यों गया था, या आपके लाभ क्यों बंद किए गए। आप अपनी फाइल की जानकारी देखने की माँग कर सकते हैं। और आप यह साबित करने के लिए जानकारी ला सकते हैं कि एजेंसी का निर्णय गलत था।

निष्पक्ष सुनवाई

आप, या आपकी तरफ़ से बोलने वाला कोई व्यक्ति (व्यक्तिगत रूप से या लिखित में) उचित सुनवाई की माँग कर सकता है। आपके आवेदन के खारिज होने या आपके लाभ के ठुकराए जाने की सूचना मिलने के बाद आपको 60 दिनों के भीतर सुनवाई की माँग करनी होगा। यदि आप 60 दिनों के अंदर माँग नहीं करते, तो आप निष्पक्ष सुनवाई का मौका खो देंगे।

प्रमाणन अवधि वह होती है जितने समय तक आपको WIC बेनिफिट मिलना चाहिए था। यदि प्रमाणन अवधि के बीच में आपका लाभ बंद हो जाता है और आप 15 दिनों के अंदर सुनवाई के लिए कहते हैं तो आपका WIC बेनिफिट आपके सुनवाई परिणाम के पता चलने या प्रमाणन अवधि, इनमें से जो भी पहले आ जाए, उसके अंत तक जारी रहेगा।

WIC स्थानीय एजेंसी में सुनवाई के लिए कहें (स्टाफ आपकी मदद करेगा) या NYS WIC प्रोग्राम से संपर्क करें।

मेल:	WIC Program Director NYSDOH, Riverview Center Room 650, 150 Broadway, Albany, NY 12204	फ़ोन: फ़ैक्स: ईमेल:	(518) 402-7093; (518) 402-7348; या NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

आपको सुनवाई की तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। सुनवाई के प्रभारी एक निष्पक्ष न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीश फैसला करेगा कि क्या आपका आवेदन ठुकराने या आपके डब्ल्यूआईसी लाभों को रोकने का निर्णय सही था। आप, या आपकी तरफ़ से बोलने वाला व्यक्ति सुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी तरफ़ से बोलने वाला व्यक्ति आपका रिश्तेदार, मित्र, वकील या अन्य व्यक्ति हो सकता है।

सुनवाई से पहले और उसके दौरान, आप या आपकी तरफ़ से बोलने वाला व्यक्ति, उस जानकारी को देख सकते हैं जो आपके खिलाफ निर्णय लेने के कारण दर्शाता है। सुनवाई के दौरान आप बोल सकते हैं, गवाह और सबूत ला सकते हैं, जो आप सुनें या देखें उस पर सवाल कर सकते हैं या उसे झूठ साबित कर सकते हैं, और गवाहों से सवाल करते हैं। सुनवाई अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता हो तो आपको वह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा बशर्ते आप सुनवाई से कम से कम दस दिन पहले विभाग से इसके माँग करें। यदि आप सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वकील के द्वारा नहीं जाते हैं, तो आपका सुनवाई का अधिकार रद्द कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त जानकारी के लिए 7 सीएफआर§ 246.7; 7 सीएफआर§ 246.9; 10 सीआरआर-एनवाई 60-1.1 से 1.6; एनवाईएस डब्ल्यूआईसी प्रोग्राम मैनुअल # 1047, # 1100, # 1130, # 1136 देखें।

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition

महिलाएं, शिशु और बच्चे (WIC) उचित सुनवाई की माँग (Fair Hearing Request)

यदि आपके लाभ का आवेदन खारिज हो जाता है या लाभ मिलना बंद हो जाता है, तो आपके पास निष्पक्ष कार्रवाई का अधिकार है। एक निष्पक्ष सुनवाई एक ऐसा मौका है जहां आप जज को बता सकते हैं कि आपको फैसला गलत क्यों लगता है। आपके आवेदन के खारिज होने या आपके लाभ के ठुकराए जाने की सूचना मिलने के बाद आपको 60 दिनों के भीतर सुनवाई की माँग करनी होगा। यदि आप 60 दिनों के अंदर नहीं कहते हैं, तो आप निष्पक्ष सुनवाई का मौका खो देंगे।

प्रमाणन अवधि वह होती है जितने समय तक आपको WIC बेनिफिट मिलना चाहिए था। यदि प्रमाणन अवधि के बीच में आपका लाभ बंद हो जाता है और आप 15 दिनों के अंदर सुनवाई के लिए कहते हैं तो आपका WIC बेनिफिट आपके सुनवाई परिणाम के पता चलने या प्रमाणन अवधि, इनमें से जो भी पहले आ जाए, उसके अंत तक जारी रहेगा।

WIC स्थानीय एजेंसी में सुनवाई के लिए कहें (स्टाफ आपकी मदद करेगा) या NYS WIC प्रोग्राम से संपर्क करें।

मेल:	WIC Program Director NYSDOH, Riverview Center Room 650, 150 Broadway Albany, NY 12204	फ़ोन: फ़ैक्स: ईमेल:	(518) 402-7093; (518) 402-7348; या NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

कृपया नीचे दी गई जानकारी को पूरा करें

तारीख ____________________

आवेदक / प्रतिभागी का नाम (प्रिंट) ____________________

पता ____________________ डब्ल्यूआईसी आईडी # (यदि लागू हो) ____________

____________________ टेलीफोन: (   ) ________ - ________

स्थानीय एजेंसी का नाम ____________________

पता ____________________ टेलीफोन: (   ) ________ - ________

____

सुनवाई के अनुरोध का कारण (वैकल्पिक) ____________________

____

____

____

____

____

____

फेडरल सिविल राइट्स और U.S Department of Agriculture (USDA) सिविल राइट विनियमों और नीतियों के अनुसार, USDA, इसकी एजेंसी, कार्यालय, और कर्मचारी और इससे संबंधित संस्थान या एडमिनिस्ट्रेटिंग USDA प्रोग्राम जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, विकलांगता, आयु के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और USDA द्वारा संचालित या फंडेड किसी भी प्रोग्राम या गतिविधि में पहले के सिविल अधिकार गतिविधि के लिए कोई प्रतिहिंसा या प्रतिकार नहीं करता है।

वैसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें प्रोग्राम की जानकारी के संवाद के लिए वैकल्पिक साधन की जरूरत है (जैसे ब्रेक, बड़े प्रिंट, ऑडियोटेप, अमेरिकन साइन लैंग्वेज इत्यादि), उन्हें एजेंसी (स्टेट या लोकल) से संपर्क करना चाहिए जहां उन्होंने लाभ के लिए आवेदन किया है। बहरे, कम सुनाई देने वाले या बोलने की अक्षमता वाले व्यक्ति फेडरल रिले सर्विस (800) 877-8339 के जरिए USDA से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रोग्राम से संबंधित जानकारी अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध हो सकती है।

प्रोग्राम के भेदभाव की शिकायत करने के लिए, USDA प्रोग्राम डिस्क्रिमिनेशन कम्प्लेंट फॉर्म (AD-3027) भरें, जो ऑनलाइन http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html पर या किसी भी USDA कार्यालय में उपलब्ध है, या USDA को संबोधित करते हुए लेटर लिख सकते हैं और फॉर्म में अनुरोध की गई सभी जानकारी दें। शिकायत फॉर्म की कॉपी का अनुरोध करने के लिए, (866) 632-9992 पर कॉल करें। अपना भरा हुआ फॉर्म या लेटर USDA को सबमिट करें:

मेल: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

फ़ैक्स: (202) 690-7442; या

ईमेल: program.intake@usda.gov

यह संस्थान, एक समान अवसर प्रदाता है।